

(भारत के राजपत्र असाधारण भाग I, खंड I में प्रकाशनार्थ)


भारत सरकार  
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय  
वाणिज्य विभाग  
विदेश व्यापार महानिदेशालय

सार्वजनिक सूचना सं. 34/2015-20  
नई दिल्ली दिनांक 25 सितम्बर, 2019

विषय: प्रक्रिया पुस्तक, 2015-2020 के पैरा 2.54 में संशोधन।

विदेश व्यापार नीति 2015-2020 के पैरा 2.04 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, महानिदेशक, विदेश व्यापार एतद्वारा प्रक्रिया पुस्तक (2015-20) के पैरा 2.54 के उप-पैरा (v)(ii) में संशोधन करते हैं और रेडिएशन पोर्टल मॉनीटर तथा कंटेनर स्कैनर संस्थापित करने और उसका प्रचालन शुरू करने की समय सीमा 31.12.2019 तक बढ़ाते हैं। ऐसे समुद्री पत्तनों को, जो समय-सीमा का अनुपालन करने में विफल रहते हैं, अखंडित धात्विक स्क्रेप के आयात के प्रयोजन से 01.01.2020 से अमान्य कर दिया जाएगा।

इस सार्वजनिक सूचना का प्रभाव: नामित पत्तनों में रेडिएशन पोर्टल मॉनीटर तथा कंटेनर स्कैनर के संस्थापन और प्रचालन शुरू करने की अवधि 31.12.2019 तक बढ़ाई जाती है।

  
(आलोक वर्धन त्रिगुर्वेदी)  
महानिदेशक, विदेश व्यापार एवं  
पदेन सचिव, भारत सरकार  
ई-मेल: [dgft.@nic.in](mailto:dgft.@nic.in)

(फाइल सं. 01/89/180/53/एम-01/पीसी-2(ख)/पी-9348 से जारी)